Seen 23/06/18

(143)

पत्र सं0-सी0/एल0ए0-03/2018.....4779...../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,
बुद्धमार्ग, पटना।

पटना,दिनांक..27.06.18.....

विषय:- सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-355/17 मुकेश रंजन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-850, दिनांक-31.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विषयांकित वाद में आपके प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वित्त विभाग से निम्न परामर्श प्राप्त हुआ:-

1. दिनांक-20.12.2000 के पूर्व नियुक्ति में 4000-6000/- एवं दिनांक-21.12.2000 से आगे की तिथियों में नियुक्ति के लिए 3050-4590/- का तेतनमान हीं अनुमान्य होगा।

2. फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.01.96 के प्रभाव से Scale to Scale के बजाय Post to Post की अवधारणा के आधार पर वेतनमान की स्वीकृति कदी गई है। फिटमेंट कमिटि द्वारा दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लिपिकीय संवर्ग के मूल कोर्ट के पद के लिए 3050-4590 की अनुशंसा की गई है, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से लिपिकीय मूल कोटि पद का वेतनमान पी0बी0-1 ग्रेड पे0-1900/-स्वीकृत है। इसी आधार पर समूह 'ग' के सृजित पदों का ग्रेड पे0-1900 निर्धारित किया गया है। अत: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 में लिपिक पद के लिए अंकित अपुनरीक्षित वेतनमान -1200-1800 के आधार पर ग्रेड पे0-2400/- का दावा उचित नहीं है।

3. उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-355/2017 में पारित आदेश के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है।

अत: अनुरोध है कि वित्त विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
27/6/18

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।
27/6/18

5142
27/6/18

E:\priyanka kumari\Jitendra kumar\CLA.doc